Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर

निराणनाथ वगै. बनाम सरकार

किस्म मुकदमाः– 136 एलआरएक्ट

नं. मुकदमा.....03 / 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01/01/21	आज यह पत्रावली तहसीलदार लूनकरनसर से शुद्धि प्रकरण प्राप्त होने पर मुरतीब की गई । दर्ज रजिस्टर की जावे। प्रार्थना पत्र पर हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार लूनकरनसर से रिपोर्ट होकर प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली रहे। प्रकरण से सम्बन्धित तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी ग्राम भानीपुरा की सम्वत् 2075–2078 के खाता संख्या 9 के खसरा नम्बर 72 तादादी 20.20 हैक्टेयर भूमि में रिधुदेवी पत्नि स्व. पुरनाथ, निराणनाथ, रूपनाथ, डालनाथ, नन्दनाथ, भवरी, आसी, सुशीला, ऊमी पि0 पुरनाथ बहिब जसुदेवी पत्नि स्व. लालनाथ , राजूनाथ पुत्र लालनाथ बहिब 1/6 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है। **जबकि शुद्ध हिस्सा** रिधुदेवी पत्नि स्व. पुरनाथ, निराणनाथ, रूपनाथ, डालनाथ, नन्दनाथ, भवरी, आसी, सुशीला, ऊमी पि0 पुरनाथ 9/60 हिस्सा बहिब जसुदेवी पत्नि स्व. लालनाथ , राजूनाथ पुत्र लालनाथ बहिब 1/60 हिस्सा हैं। जिसकी दुरूस्ती चाही है तहसीलदार लूनकरनसर ने अपनी रिपोर्ट में वांछित दुरूस्ती किये जाने की अनुशंषा की हैं। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजात यथा चालु जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078, ईन्तकाल संख्या 563, जमाबन्दी सम्वत् 2055–2058, शपथ–पत्र, मृत्यु प्रमाण–पत्र, वारिस प्रमाण–पत्र आदि दस्तावेज पेश किये हैं। प्रस्तुत साक्ष्य व तहसीलदार लूनकरनसर से प्राप्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि खातेदार पुरनाथ के देहान्त के बाद पुरनाथ के वारिसों के नाम जो विरासतन ईन्तकाल दर्ज हुवा उसमें पुरनाथ पुत्र लालनाथ के वारीसों का 1/60 हिस्सा दर्ज नहीं कर पुरनाथ के 1/6 हिस्से में सभी वारिसों का बहिब में ईन्तकाल दर्ज किया है। जबकि उक्त भूमि में लालनाथ पुत्र पुरनाथ के वारिसानों का 1/60 हिस्सा बहिब व पुरनाथ के अन्य हिस्सेदार रिधु वगै. का 9/60 हिस्सा ब.हि.ब. बनता हैं। इसलिये वांछित दुरूस्ती की अनुशंषा न्यायोचित समझते हैं। फलस्वरूप राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत रोही मौजा ग्राम भानीपुरा तहसील लूनकरनसर की जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 के खाता संख्या 9 के खसरा नम्बर 72 तादादी 20.20 हैक्टेयर भूमि में रिधुदेवी पत्नि स्व. पुरनाथ, निराणनाथ, रूपनाथ, डालनाथ, नन्दनाथ, भवरी, आसी, सुशीला, ऊमी पि0 पुरनाथ बहिब जसुदेवी पत्नि स्व. लालनाथ , राजूनाथ पुत्र लालनाथ बहिब 1/6 हिस्सा के स्थान पर रिधुदेवी पत्नि स्व. पुरनाथ, निराणनाथ, रूपनाथ, डालनाथ, नन्दनाथ, भवरी, आसी, सुशीला, ऊमी पि0 पुरनाथ 9/60 हिस्सा बहिब जसुदेवी पत्नि स्व. लालनाथ , राजूनाथ पुत्र लालनाथ 1/60 हिस्सा ब.हि.ब. दुरूस्त करने की आज्ञा प्रदान की जाती हैं । तहसीलदार लूनकरनसर को दुरूस्ती आदेश पृथक से पालनार्थ जारी हो पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तरतीब तकमील दाखिल दफत्तर हो।	

उप खण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Solanki
Date: 2021.09.29 12:50:18 IST
Reason: SelfAttested